HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.840/2026
IN
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 938/2026
CNR: RJHC020401602026 | URN: CRLAS / 1752U / 2026

Kanhaiyalal @ Raju Topi S/o Devi Lal Yadav, Aged About 45 Years, Resident Of Pawan Ki Gali, Karni Nagar, Naanta, Police Station Naanta, Kota City. (Presently Lodged In District Jail At Kota).

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री प्रणव पारीक श्री अमन लोढा श्री हर्ष लोढा
For Respondent(s)	:	श्री गौरव गुप्ता, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28-07-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–3, कोटा** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**499/2024 सरकार बनाम कन्हैयालाल उर्फ राजू टोपी** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **21.04.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.10.2024 से लगातार अभिरक्षा में है । विचारण के दौरान भी वह अभिरक्षा में रहा है । उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग एक वर्ष 9 माह हो चुकी है । उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाहों के कथनों में विरोधाभास है, अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **कन्हैयालाल उर्फ राजू टोपी पुत्र देवीलाल यादव** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/21